



PUBLIC WORKS DEPARTMENT, HARYANA (Buildings and Roads Branch)

कार्यालय कार्यकारी अभियंता,
प्रांतीय मण्डल न.2,
लो0 नि0 वि0 भवन व मार्ग शाखा, सिरसा
फोन नं.-01666-222959
ई-मेल-pwd-eeepd2-sirsa@hry.nic.in

सेवा में,

वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।

क्रमांक 6158

दिनांक 29-12-2025

विषय:

Diversion of 0.8395 ha. Of forest land for Construction of 4-Lane road from Airport to main by-pass Km. 260.35 to 261.50 (CM Announcement Code No. 24520 Dt. 20.11.2025), under Forest Division Distt. Sirsa. Online Proposal No. FP/HR/Road/155473/2022.

संदर्भ:

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फाईल संख्या 9-HRB081/2023-CHA dated 31-10-2023, इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 6458 दिनांक 31.12.2024 व अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा पंचकूला का पत्र क्रमांक 892 दिनांक 03.12.2025।

उपरोक्त संदर्भ में आपको यह लिखा जाता है कि जिन शर्तों के आधीन पर राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, जोकि शर्तों की अनुपालना अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है:-

(A) शर्तों की अनुपालना :-

1. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशी जमा करवा दी गई है।
2. प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्तप्रति पौधारोपण की राशी जमा करवा दी गई है।
3. WP © No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2020, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार वन भूमि 0.8395 हेक्टेयर की नैट प्रजैट वैल्यू जमा करवा दी गई है।
4. सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाईन के माध्यम से जमा करवा दी गई है।

5. पूर्ण रिपोर्ट e-portal में अपलोड कर दी गई है।
6. प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाईन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा करवा दी गई है।
7. इस कार्यालय में कोई अन्य प्रस्ताव जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है अनुमोदन की शर्तों के अनुपालना में लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
8. FRA 2006 का जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र सलंगन है।

(B) शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अन्डरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है।

1. वन विभाग भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
3. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
4. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार जब कभी npv की राशि बढ़ाई जाएगी तो उसे बढी हुई npv की राशि को जमा करने के प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी होर राज्य सरकार बढी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगी।
5. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनो ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
6. स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
7. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव को ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।
8. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।
9. प्रयोगता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
10. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।
11. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमान्यतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराएगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

12. प्रयोक्ता एजेसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वन्यजीव और प्राणी समूह के संरक्षण तथा प्रबन्धन में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
13. स्थानांतरीत वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फीट ऊंचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएंगी।
- 14.. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटर साइज लगाए जाएंगे।
15. प्रयोक्ता एजेसी सीडब्यूडब्यूड/एनवीडीडब्यूड/एफएसडीड/आईसीफ की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अन्डर/आवरपास उपलब्ध कराएंगी।
16. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेसी पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
17. कोड़ा कचरा निपटान जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।
18. इस प्रस्ताव के 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करेगी। यह अनुमति के तहत कपअमतेपवद की अवधि प्रयोक्ता एजेसी के पक्ष में दी जाने वाली समेंम की अवधि या परियोजना की अवधि में से कम से कम के सह-समर्थ होगी।
19. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
20. यदि कोई अन्य संबंधक अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन आवश्यक अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।
21. इन में से किसी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.121 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

संलग्न / उपरोक्त

कार्यकारी अभियंता,
प्रांतीय मण्डल नं० 2,
लो० नि० वि० भवन व मार्ग
सिरसा।

Banka chapn. 277542 dt 09-02-2024 for 39,77,545

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 09-02-2024

Client Code.	CAM5069
Location.	HARAYANA
Remitter Name.	PWD DIVISION NUMBER ONE
PIF/Application No.	61155473580
MoEF/SG File No.	9-HRB081-2023-CHA
Address.	PWD DIVISION NO. 1, SIRSA Sirsa
Remitter Contact No.	
Email-Id.	pwdsr@gmail.com
Mobile No.	9416650089
Landline No.	1666-00000000
Amount(in Rs)	3977545/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Thirty-Nine Lakh Seventy-Seven Thousand Five Hundred and Forty-Five Rupees Only

Executive Engineer
Depositor Signature
(Signature)

Bank Official
(Signature)

Govt. Division-II, Sirsa

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAMPA) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 09-02-2024

Client Code.	CAM5069
Location.	HARAYANA
Remitter Name.	PWD DIVISION NUMBER ONE
PIF/Application No.	61155473580
MoEF/SG File No.	9-HRB081-2023-CHA
Address.	PWD DIVISION NO. 1, SIRSA Sirsa
Remitter Contact No.	
Email-Id.	pwdsr@gmail.com
Mobile No.	9416650089
Landline No.	1666-00000000
Amount(in Rs)	3977545/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words :Thirty-Nine Lakh Seventy-Seven Thousand Five Hundred and Forty-Five Rupees Only

Executive Engineer
Depositor Signature
(Signature)

Bank Official
(Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAMPA) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

SATISH
Division
Sirsa Fc

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdes

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbank

175

TRADITIONAL FOREST DWELLERS RECOGNITION OF FOREST RIGHT ACT, 2006.

Title of the Case/Project: Diversion of 0.8395 ha. of forest land for construction of 4-Lane road from Airport to main bye-pass Km. 260.50 (CM Announcmenent code No. 24520 dt. 20.11.2018), under Forest Division & Distt. Sirsa.

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" Less than 75 years prior to the 13th Day of December 2005 and having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

—sd— CTM,
for District Collector,
Sirsa.

Memo No 513

/MA Dated: 29/02/2024

A copy is forwarded to District Forest Officer, Sirsa for information and further necessary action please.


CTM,
for District Collector,
Sirsa. 



**PUBLIC WORKS DEPARTMENT, HARYANA
(Buildings and Roads Branch)**

कार्यालय कार्यकारी अभियंता,
प्रांतीय मण्डल नं.2,
लो0 नि0 वि0 भवन व मार्ग शाखा, सिरसा
फोन नं.-01666-222959
ई-मेल-pwd-eeepd2-sirsa@hry.nic.in

प्रमाण-पत्र

विषय: Diversion of 0.8395 ha. Of forest land for Construction of 4-Lane road from Airport to main by-pass Km. 260.35 to 261.50 (CM Announcement Code No. 24520 Dt. 20.11.2025), under Forest Division Distt. Sirsa. Online Proposal No. FP/HR/Road/155473/2022.

उपरोक्त विषय के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव में सैधांतिक स्वीकृति के पैरा नं0 (A) के बिंदु संख्या 7 के अनुसार S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालना हेतु इस मण्डल कार्यालय में अन्य कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।


कार्यकारी अभियंता,
प्रांतीय मण्डल नं0 2 ,
लो0 नि0 वि0 भवन व मार्ग
सिरसा।